में जारी

25-4-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 10-5-19 को पेश हो। रीडर
10-5-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 30-5-19 को पेश हो। रीडर
30-5-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13-6-19 को पेश हो। रीडर
13-6-19	पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी/अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित है/अनुपस्थित है। श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 28-6-19 को पेश हो। रीडर
28-6-19	वकील उभयपक्ष उप०। बहस सुनी गई। वास्ते निर्णय पत्रावली दि० 5-7-19 को पेश हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
5-7-19	वकील उभयपक्ष उप०। अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा० सं० 188 दि० 22-3-19 ग्राम बाढ़धावा नं० 2 निरस्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे हकत्याग पत्र दि० 25-2-19 के अनुसार नियमानुसार पक्षकारों

नम्बर व तारीख हुक्म या तारीख कार्यवाही	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के नाम नामान्तरकरण दर्ज करने की कार्यवाही करें। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उप जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी	

न्यायालय श्री विजेन्द्र कुमार मीना, आर०ए०एस०, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
34/2019	27.07.2019	5-7-19

शिवहरी पुत्र रामनिवास, माली निवासी खानपुरबडौदा तहसील गंगापुर सिटी

——अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत महूकलां तहसील गंगापुर सिटी
2. शिवलहरी पुत्र रामनिवास,माली निवासी खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी
3. ममता पुत्री रामनिवास पत्नी माखनसिंह, माली निवासी भगतपुरा ग्राम खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी महमदपुर तहसील करौली
4. रामकन्या पुत्री रामनिवास पत्नी राजेश, माली निवासी भगतपुरा ग्राम खानपुरबडौदा तह0 गंगापुर सिटी हाल निवासी नौगांव तह0 गंगापुर सिटी

——रेस्पोन्डेन्टगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 22.3.219 सरपंच ग्राम पंचायत महूकलां बाबत नामन्तरकरण संख्या 188 ग्राम बाढ छावा सं0 2

उपस्थित :— श्री सतीश कुमार शर्मा, एडवोकेट, अपीलार्थी की ओर से
श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, एडवोकेट, रेस्पो. न0 2, 3, 4 की ओर से

निर्णय

अपीलार्थी ने अपील इस आशय की पेश की है कि भूमि ख0न0 93 रकबा 44 एयर ग्राम बाढ छावा सं0 2 तहसील गंगापुर सिटी मेंममता व रामकन्या का 1/60, 1/60 अर्थात संयुक्त हिस्सा 1/30 है तथा ख0नं0 94 रकबा 48 एयर ग्राम बाढ छावा सं0 2 में 1/20, 1/20 अर्थात संयुक्त हिस्सा 1/10 है। ख0नं0 93 में से रेस्पोन्डेन्ट नं0 3 व 4 ने संयुक्त रूप से अपना 2/3 हिस्सा अर्थात अपने समपूर्ण हिस्सा 1/30 में से 1/45 हिस्से का हक त्याग अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के नाम समान रूप से बराबर बराबर कर दिया तथा इसी अनुसार ख0नं0 94 में से भी रेस्पोन्डेन्ट सं0 3 व 4 द्वारा संयुक्त रूप से अपना 2/3 हिस्सा अर्थात अपने सम्पूर्ण हिस्से 1/10 में से 1/15 हिस्से का हकत्याग अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट सं0 2 के नाम कर दिया । इस बाबत् एक हकत्याग लिखवा कर दिनांक 25.2.19 को पंजीबद्ध करवा दिया। ख0नं0 93 में रेस्पोन्डेन्ट सं0 3 व 4 का हिस्सा संयुक्त रूप से 1/90 शेष रहा तथा ख0नं0 94 में रेस्पोन्डेन्ट सं0 3 व 4 का हिस्सा 1/30 शेष रहा परन्तु उक्त हकत्याग के आधार पर पटवारी हलका द्वारा जो नामान्तरकरण भरा गया, गिरदावर द्वारा उसकी जांच की गई व रेस्पो0 नं0 1 द्वारा उसे स्वीकार किया गया, वह गलत भरा गया तथा बिना जांच किए ही गलत नोट अंकित किया गया व सरपंच द्वारा भी बिना देखे ही नामान्तरकरण

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

तस्दीक कर दिया गया। हकत्याग के आधार पर जो अपीलाधीन नामान्तरकरण तस्दीक किया गया उसके अनुसार रेस्पोन्डेन्ट नं0 3 व 4 की सम्पूर्ण भूमि का ही हकत्याग अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के नाम गलत खोल दिया गया। इस प्रकार अपीलाधीन नामान्तरकरण गलत व अवैधानिक है। अपीलाधीन नामान्तरकरण का निर्णय करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय ने ना तो हकत्याग पत्र का अवलोकन किया और न ही कोई जांच की। रेस्पोन्डेन्ट नं0 2, 3, 4 को कोई नोटिस नहीं दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए इस निर्णय दिनांक 22.3.19 की जानकारी अपीलार्थी को पटवारी हलका से दिनांक 25.3.19 को मिलने पर हुई। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.3.19 बाबत् नामान्तरकरण संख्या 188 ग्राम बाढ छावा नं0 2 निरस्त फरमाया जावे तथा तहसीलदार गंगापुर सिटी को पुनः रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 25.2.2019 के अनुसार सही नामान्तरकरण तस्दीक करने के आदेश प्रदान करें ।

अपील के साथ अपीलार्थी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 22.3.2019, फोटोकोपी हकत्याग पत्र दिनांक 25.2.2019 की प्रति एवं नकल जमाबंदी संवत 2070—73 पेश की है।

अपील अपीलार्थी दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट्स को तलब किया गया। रेस्पोन्डेन्ट नं0 1 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4 की ओर से उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए।

दिनांक 8.4.2019 को अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट नं0 2, 3, 4 ने हाजिर अदालत होकर एक राजीनामा प्रस्तुत किया जो तस्दीक किया जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। राजीनामे में पक्षकारों ने दर्शाया है कि विवादित भूमि में रेस्पो0 नं0 3 व 4 द्वारा अपने 2/3 हिस्से का ख0नं0 93 व 94 में हकत्याग किया जबकि सरपंच द्वारा गलत रूप से ममता व रामकन्या के हिस्से की सम्पूर्ण भूमि का हकत्याग का नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है इसलिए नामान्तरकरण सं0 188 दिनांक 22.3.2019 ग्राम बाढ छावा नं0 2 को निरस्त कर उक्त हकत्याग पत्र के आधार पर सही नामान्तरकरण खोलने हेतु तहसीलदार जी को भेजा जावे।

बहस विद्धान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

अपीलार्थीके विद्धान वकील ने अपनी अपील के अनुरूप बहस करते हुए कहा कि नामान्तरकरण संख्या 188 दिनांक 22.3.2019 गलत रूप से भरा जाकर तस्दीक हुआ है क्योंकि रेस्पोन्डेन्ट नं0 3 व 4 ने वादग्रस्त भूमि का 2/3 हिस्सा ही अपीलार्थी एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2के हक में हकत्याग किया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण निरस्त किया जावे एवं हकत्याग के अनुसार सही प्रकार से नामान्तरकरण भरा जावे।

रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2, 3, 4 के विद्धान वकील ने अपनी बहस में कहा कि रेस्पोडेन्ट नं0 3 व 4 ने जरिए रजिस्टर्ड हकत्याग पत्र दिनांक 22.3.2019

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अपने हिस्से की भूमि में से 2/3 हिस्से की भूमि अपीलार्थी एवं रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के पक्ष में हकत्याग की है। इसके अनुसार भूमि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट नं0 2 के नाम दर्ज कर दी जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध हकत्याग पत्र दिनांक 22.3.2019 की छायाप्रति के अनुसार रेस्पोन्डेन्ट नं0 3 व 4 ने उनकी खातेदारी की भूमि ख0नं0 93 व 94 ग्राम बाढ छावा नं0 2 में से अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के हक में 2/3 हिस्सा का त्याग किया है परन्तु नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 22.3.2019 द्वारा अपीलार्थी व रेस्पोन्डेन्ट नं0 2 के पक्ष मेंरेस्पोन्डेन्ट नं0 3 व 4 की सम्पूर्ण भूमि का दर्ज कर दिया है जो गलत है। अपीलार्थी इसे निरस्त करवाने का अधिकारी है।

आदेश

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 188 दिनांक 22.3.2019 ग्राम बाढ छावा नं0 2 निरस्त किया जाता है। तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह हकत्याग पत्र दिनांक 25.2.2019 के अनुसार पक्षकारो के मध्य नामान्तकरण दर्ज करने की नियमानुसार कार्यवाही करे। साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है उपरोक्त गलत नामान्तकरण दर्ज करने वाले पटवारी व इसकी जॉच करने वाले भू अभिलेख निरीक्षक के नाम से इस न्यायालय को अवगत करावे। तहसीलदार गंगापुर सिटी को निर्णय की प्रति पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-07-2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(विजेन्द्र कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Vijendra Kumar Meena
Date: 2019.11.20 17:40:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: